

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

www.rajsmsa.nic.in

फोन नं: 0141-2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईडी / 2021-22 / 2577

दिनांक : 17.8.2024

दिशा-निर्देश

(सत्र 2021-22)

1. मेडीकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प का आयोजन

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) के चिकित्सकीय एवं क्रियात्मक आवश्यकताओं के आंकलन करने तथा इन बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार सम्बलन, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, शिक्षण सामग्री, विविध उपकरण एवं लो-विजन उपकरण आदि प्रदान करने हेतु मेडीकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प आयोजित किये जाने हैं।

मेडीकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प भारतीय कृत्रिम अंग-उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/चनालोन, मोहाली एवं जिला चिकित्सालय के सहयोग से ब्लॉक/जिला स्तर पर आयोजित किये जाने हैं। फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प हेतु मेडीकल बोर्ड का गठन किया जाकर निम्न सारणी में अंकित विवरण के अनुसार कार्य संपादित करवाया जाएगा:-

क्र.सं.	श्रेणी	किये जाने वाले कार्य
1	अस्थि दोष विशेषज्ञ	अस्थि दोष से प्रभावित बालक-बालिकाओं हेतु आवश्यक अंग व उपकरणों का निर्धारण एवं स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।
2	आई स्पेशलिस्ट	बालक-बालिकाओं की आँखों की जाँच करके आवश्यकता अनुसार उपकरणों का निर्धारण (चश्मा, मेग्नीफायर) एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना।
3	ई एन टी स्पेशलिस्ट	बालक-बालिकाओं के श्रवण एवं स्वर मैकेनिज्म की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना।
4	मनोचिकित्सक	मानसिक विमन्दिता एवं मानसिक बीमारी की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना।
5	सामान्य चिकित्सक	सामान्य जाँच एवं रक्त संबंधी विकलांगता, पहचान एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना।
6	फिजियोथेरेपिस्ट	बालक-बालिकाओं के गामक एवं पेशीय समन्वय की जाँच करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण।
7	स्पीच थेरेपिस्ट	बालक-बालिकाओं का स्पीच असेसमेन्ट करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण।
8	साइकॉलोजिस्ट	बालक-बालिकाओं की IQ असेसमेन्ट एवं व्यवहारगत समस्याओं का अध्ययन करते हुए सुधारात्मक कार्यक्रम का निर्धारण।

नोट :- Rights of Persons With Disability Act, 2016 के अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

• समयावधि:- सितम्बर-अक्टूबर, 2021

• वित्तीय प्रावधान :-

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के असेसमेन्ट तथा असेसमेन्ट पश्चात अंग-उपकरण वितरण दोनों कैम्पों के आयोजन हेतु संयुक्त रूप से

प्रति ब्लॉक ₹ 10,000/- की राशि (Elementary - 199.1- Identification & Assessment (Medical Assessment Camp) स्वीकृत की गई है। उक्त दोनों कैम्प आयोजन हेतु जिले को आवंटित कुल बजट की सीमा में कैम्प हेतु निम्नानुसार व्यय किया जा सकेगा :-

- बच्चों, अभिभावकों एवं कार्मिकों हेतु चाय, नाश्ता एवं वर्किंग लंच - ₹ 100/- प्रति व्यक्ति।
- बैठक एवं टेन्ट व्यवस्था लगभग - ₹ 15000/- प्रति कैम्प प्रति दिवस।
- कन्टीजेन्सी/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी - लगभग ₹ 5000/- प्रति कैम्प
- बच्चों एवं अभिभावकों हेतु यात्रा व्यय - वास्तविक।
- मेडीकल बोर्ड के सदस्य मानदेय - ₹ 800/- प्रति दिवस।
- एलिम्को तकनीकी दल हेतु भोजन/नाश्ता - ₹ 200/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस।
- श्रवण बाधित बालक-बालिकाओं हेतु ऑडियोमेटरी टेस्ट एलिम्को, कानपुर/चनालोन, मोहाली के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। जिले के श्रवण बाधित बालक-बालिकाओं को कैम्प में लाया जाना सुनिश्चित करें जिससे आवश्यक उपकरण हेतु चिन्हित किया जा सके।
- मेडीकल बोर्ड में यथा संभव राजकीय चिकित्सक ही बुलाए जाए तथा इस हेतु पूर्व में ही जिला कलक्टर अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के द्वारा आदेश जारी करवावें।
- राजकीय चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने पर जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात निजी चिकित्सकों को कैम्प में बुलाया जा सकेगा।
- एलिम्को तकनीकी दल हेतु आवास व्यवस्था सर्किट हाउस अथवा डाक बंगले में उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।
- एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान स्वयं के विभाग एलिम्कों, कानपुर/चनालोन, मोहाली से ही देय होगा।
- बालक-बालिकाओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जावें।
- उपापन के संबंध में RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 के प्रावधानों की पालना की जाये।
- व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि कर व्यय की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- एलिम्को विशेषज्ञ तकनीकी दल को कोई मानदेय देय नहीं होगा।
- बोर्ड के सदस्यों को कैम्प स्थल तक लाने व ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ही की जावेगी। उक्त वाहन यथा संभव पूर्व में परियोजना कार्य में संचालित होना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति में वाहन उपलब्ध नहीं होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदन पश्चात् वित्त विभाग की अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की जाकर व्यय प्रबंधन मद से किया जा सकेगा।
- बजट के पारदर्शितापूर्ण उपयोग हेतु पूर्व नियोजन के साथ पात्र बालक-बालिकाओं को ही बुलवाया जाये।
- सीबीईओ/पीईईओ द्वारा संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) एवं नोडल प्रभारी की सहायता से डाइस डाटा के अनुसार जिन बालक बालिकाओं का मेडीकल असेसमेंट नहीं हुआ है तथा जिन्हें अंग-उपकरण/लो-विजन डिवाइसेस की आवश्यकता है उनकी पृथक्-पृथक् सूची मय पूर्ण पते के साथ तैयार कराकर व्यक्तिशः बच्चे का प्रमाणीकरण कर सूची नोडल स्तर पर 31 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध करा दी जावे ताकि कैम्प आयोजन की तिथि निर्धारित होने पर ऐसे बालक बालिकाओं को आमंत्रित किया जा सके। इस सूची को कम्प्यूटर में सुरक्षित भी रखा जाये।
- उक्तानुसार चयनित बालक-बालिकाओं के आवेदन पत्र आदि भराकर उन्हें कैम्प स्थल तक लाने का दायित्व सीबीईओ एवं संबंधित विद्यालय के पीईईओ/प्रधानाध्यापक, संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) का होगा।
- उक्त समस्त कैम्पों की सूचना जिले में विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं एवं बालक-बालिकाओं के अभिभावकों को पूर्व में ही पत्र/एसएमएस/मोबाईल/व्हाट्स-एप द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि समस्त पात्र बालक-बालिकाएं लाभान्वित हो सके।

क्रियान्वयन के बिन्दु :-

- एक से अधिक ब्लॉक हेतु कैम्प स्थानीय आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से लगाये जा सकेंगे।
- कैम्प आयोजन तिथि (सितम्बर-अक्टूबर, 2021) एवं स्थान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी कराई जावे।
- कैम्पों में गैर सरकारी संगठनों को भी सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये तथा उनकी भूमिका निर्धारित की जाए।
- कैम्प में भाग लेने वाले प्रत्येक बालक-बालिका को निम्नांकित दस्तावेज साथ लाने हेतु अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए :-
 - ✓ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स - 4
 - ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र
 - ✓ आय प्रमाण पत्र
 - ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
- कैम्प में अंग-उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक बालक-बालिका के अभिभावक का मोबाईल नम्बर लिया जाकर अंग-उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम तीन दिवस पूर्व तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/ WhatsApp/ दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प उपमद में राशि कम होने की स्थिति में "Providing Aids and Appliances" उपमद से व्यय किया जा सकेगा।
- बालक-बालिकाओं की थैरेपी का आंकलन किया जाकर थैरेपी कार्यक्रम तैयार कराये जाये व संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा तदनुसार क्रियान्वयन किया जावे।
- मेडीकल असेसमेन्ट कैम्प आयोजन के समय जिला कलेक्टर के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रेलवे एवं रोड़वेज के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावे जिससे इन बालक-बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति से संबंधित प्रक्रिया तथा अन्य सुविधाएं हेतु सहयोग प्राप्त हो सकें।
- गत सत्र के शेष रहे विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के अनुसार ही मेडीकल असेसमेन्ट सुनिश्चित कराया जाये। फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में बालक-बालिकाओं की आवश्यकतानुसार संदर्भ कक्ष का कलैण्डर निर्धारित करते हुए बालक-बालिकाओं को संदर्भ कक्ष में बुलाया जाये जिससे संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा निर्धारित संबलन प्रदान किया जा सके।
- समस्त सूचना कैम्प समाप्ति के बाद एक रिपोर्ट परिषद् मुख्यालय, जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

12

2. अंग-उपकरण वितरण

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की सामान्य विद्यालयों में मेनस्ट्रीमिंग कराने हेतु समावेशित शिक्षा के तहत फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में चयनित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को निःशुल्क अंग-उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु अंग-उपकरण वितरण कैम्प का आयोजन विद्यालय खुलने पर जिले स्तर पर अन्यथा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में विद्यालय नहीं खुलने पर अंग-उपकरण वितरण लाभार्थियों के घर जाकर करवाया जाना है।

- फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्पों के आयोजन पश्चात् भारतीय कृत्रिम अंग-उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/चनालोन, मोहाली से प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर अग्रिम राशि परिषद् मुख्यालय से प्रेषित की जायेगी। यह राशि "Providing Aids and Appliances" उपमद के अन्तर्गत आवंटित राशि में से प्रभार्य की जा सकेगी।
- भारतीय कृत्रिम अंग-उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/चनालोन, मोहाली के सहयोग से आयोज्य फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में चयनित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को अंग-उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
- भारतीय कृत्रिम अंग-उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/चनालोन, मोहाली से अंग-उपकरण प्राप्त होने के पश्चात् एलिम्को से सहमति प्राप्त तिथियों में सामग्री का वितरण किया जायेगा।
- फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में अंग-उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक बालक-बालिका के अभिभावक को अंग-उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम तीन दिवस पूर्व तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/ WhatsApp/ दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- अंग-उपकरण उपलब्ध कराने हेतु SCHEME OF ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS FOR PURCHASE/FITTING OF AIDS/APPLIANCES (ADIP SCHEME) योजना के प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाये।
- अंग-उपकरण वितरण कैम्प में एलिम्को के प्रतिनिधि आवश्यक रूप से बुलाये जाएंगे जिनके द्वारा बालक-बालिकाओं की आवश्यकतानुसार अंग-उपकरणों का माप लेकर अंग-उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
- जिले के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एलिम्को से प्राप्त समस्त सामग्री पात्र बालक-बालिकाओं को वितरित कर दी जाये तथा कोई भी अंग-उपकरण अवितरित नहीं रहे।
- अंग-उपकरण वितरण कार्यक्रम पर व्यय समावेशित शिक्षा के फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प तथा अंग-उपकरण वितरण कैम्प हेतु जारी राशि से किया जा सकेगा। इस हेतु राशि कम उपलब्ध होने की स्थिति में शेष राशि उपलब्धता के आधार पर "Providing Aids and Appliances" से प्रभार्य हो सकेगी।

- एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान स्वयं के विभाग एलिम्को, कानपुर/चनालोन, मोहाली से ही देय होगा।
- बालक-बालिकाओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जावे।
- उपापन के संबंध में RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 के प्रावधानों की पालना की जाये।
- बालक-बालिकाओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु भोजन/नाश्ता, टेन्ट इत्यादि की व्यवस्था हेतु नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर की जावे।
- व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि में कर व्यय की प्रविष्टि पीएमएस पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- बजट की उपलब्धता कम होने की स्थिति में बालक-बालिकाओं को अंग-उपकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से निःशुल्क दिलाये जाये।
- उक्तानुसार कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन करते हुए कैम्प आयोजन के 7 दिवस में प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।

➤ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाइन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- नोट:-**
1. गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
 2. अंग-उपकरण वितरण विद्यालय खुलने पर जिले स्तर पर अन्यथा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में विद्यालय नहीं खुलने पर अंग-उपकरण वितरण लाभार्थियों के घर जाकर करवाया जाना है।

(डॉ. भंवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक : 17.8.2024

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2021-22/ 2577

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)

अति0 राज्य परियोजना निदेशक

अंग-उपकरण वितरण की सूचना

क्र. सं.	नाम बालक-बालिका	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार	अंग - उपकरण का नाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

हस्ताक्षर

जिला परियोजना समन्वयक